भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1730

दिनांक 01.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

1730. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के लक्ष्य और समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने तेलंगाना में एसबीएम-जी लागू किया है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित, स्वीकृत और जारी की गई निधियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या तेलंगाना राज्य में एसबीएम-जी की प्रगति निर्धारित लक्ष्यों और समय-सीमा के अनुसार हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ङ): सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] 2 अक्टूबर, 2014 को शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य 2 अक्टूबर, 2019 तक देश के ग्रामीण क्षेत्र को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) बनाना था। देश के सभी गांवों ने 2 अक्टूबर, 2019 तक स्वयं को ओडीएफ घोषित कर दिया था। खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) का दर्जा प्राप्त करने के बाद, एसबीएम (जी) का दूसरा चरण 1 अप्रैल, 2020 से 5 वर्ष की अवधि के लिए शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य गांवों की खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को बनाए रखना और सभी गांवों को ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) के साथ कवर करना तथा प्रत्यक्ष रूप से स्वच्छ बनाना है। एसबीएम (ग्रामीण) तेलंगाना सहित 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एसबीएम (जी) के अंतर्गत तेलंगाना को आबंटित और जारी केन्द्र का वर्ष-वार हिस्सा नीचे दिया गया है:

राशि करोड़ रुपए में

वर्ष	**आवंटन**	**जारी निधि**
2021-22	180.67	0
2022-23	542.94	0
2023-24	25.00	14.18

तेलंगाना के 9,871 गांवों में से 8,990 गांवों को अब तक खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस (उदीयमान-606, उज्ज्वल-3, उत्कृष्ट-8,381) घोषित किया गया है।

*****